

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/2902

दिनांक: 04-04-2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त नर्सिंग महाविद्यालय,

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- नर्सिंग महाविद्यालय सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा 28.03.2016 को एक पत्र दिया गया है जिसमें 2015-16 की सम्बद्धता हेतु यह लिखा गया है कि नर्सिंग महाविद्यालय का 2015-16 से मेडीकल विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्थानांतरित हो गया है इस कारण जीवाजी विश्वविद्यालय को नर्सिंग महाविद्यालय से न तो सम्बद्धता शुल्क जमा करने तथा न ही सम्बद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह भी लिखा है, छात्रों की परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी।

प्वाइंट-3 पर यह लिखा है कि जब भी किसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता का स्थानांतरण एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में होता है तो वह नई सम्बद्धता नहीं मानी जाती केवल नवीनकरण ही किया जाता है।

प्वाइंट-5 पर यह लिखा है कि सभी छात्र जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बंध रहेंगे और उनकी परीक्षाएँ जीवाजी विश्वविद्यालय करायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्न नियम महाविद्यालय के लिए कॉलेज कोड 27 के अनुसार दिए जा रहे हैं।

- (1) Where a college had been given admission for a limited period and desires to apply for extension for a further period or permanently after running the course/subject continuously up to five years, the authorized officer or the chairman of the governing body constituted in accordance with the statutes shall apply in the form prescribed for the purpose and so far as may be necessary supply:-

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/

11 2 11

दिनांक:.....

- (i) Full factual information pertaining to the compliance of all the points, the assurance, and undertaking mentioned in paragraph 2 and 3.
- (ii) Full factual information about compliance of any conditions, laid down by the Executive Council at the time of giving admission for a limited period: and
- (iii) Such other information as the Executive Council may call for.

3(i) The college shall submit itself to the inspection by the University from time to time by one or more competent persons authorized in this behalf by the Executive Council/Vice Chancellor and a report of the inspection shall be presented to the Standing Committee of the Academic Council/Executive Council.


(ii) Every college or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31<sup>st</sup> July in continuation of annual affiliation fees at the rates mentioned below.

- (a) (ii) If the fee payable under Sub Para (3) (ii) is not paid by the date specified there in, the affiliation of the college or institution may be withdrawn. Provided that the Kulapati may permit the requisite fee to be paid together with an additional amount equal to 25% of the requisite fee within a period of three month from the date mentioned in Sub-para (3) (ii) In the case of such disaffiliation, the University may take such necessary steps as are feasible in the interest of the students.

The admission / affiliation of the colleges granted was temporary (with conditions) for the session 2014-15. All the college need to apply for extension of affiliation for the session 2015-16 failing which it will not be possible for the university to conduct the examination of students for the session 2015-16. The matter will be reported to INC, state Govt. (Higher Education) and Executive council for action.

It is further clarified refer to point 5 that the student are never affiliated to university. They are enrolled for examination.

अतः यह महाविद्यालयों को तय करना है कि वह अपनी सम्बद्धता का नवीनीकरण 2015-16 के लिए कराते है या नहीं, अगर कराना चाहते है तो तीन दिवस में सम्बद्धता नवीनीकरण फार्म भरकर जमा करें।

  
अधिष्ठाता 4/4/2016

महाविद्यालय विकास परिषद